महत्वपूर्ण एवं खास

ऋण आवेदनों के निराकरण हेतु साक्षात्कार 27 जून को

रायगढ़। मुख्य महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़ ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा स्व-रोजगार योजना वर्ष 2022-23 के अंतर्गत हितग्राहियों का ऋण आवेदनों के निराकरण हेतु साक्षात्कार जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति के समक्ष 27 जून 2022 को दोपहर 12 बजे से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, लोचन नगर रायगढ़ में लिया जाएगा। नियत तिथि एवं समय पर आवेदक साक्षात्कार में उपस्थित हो सकते है।

जिले में 14.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

रायगढ़। चालू वर्षा मौसम में रायगढ़ जिले में 17 जून तक 14.3 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 1.6 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 3.6 मिली मीटर, पुसौर में 3.1, खरसिया में 59.2, सारंगढ़ में 14.1, बरमकेला में 7.4, घरघोड़ा में 5.3, तमनार में 40.9, लैलूंगा में 2.6, धरमजयगढ़ में 11.2 सरिया में एवं छाल तहसील में 7.5 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

सहारा की स्कीम पूर्णता के बाद भी राशि नहीं मिलने पर अब 27 जून तक कर सकते है आवेदन

रायगढ़। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, रायगढ़ ने सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड एवं सहारा ग्रुप में जमाकर्ताओं/निवेशकों को सूचित करते हुए कहा है कि उक्त सोसायटी/ग्रुप के किसी भी स्कीम में कोई राशि यदि जमा किये गये हो और स्कीम की परिपक्वता के पश्चात भी राशि वापस नहीं की जा रही है तो जमा करने के संबंध में कोई दस्तावेज हो तो संपूर्ण विवरण आवेदन पत्र में उल्लेख करते हुए नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र के निवेशक जिला कोषालय के आवक शाखा एवं जिला कार्यालय रायगढ़ के कमरा नंगर 28 तथा ग्रामीण क्षेत्र के निवेशक अपने जनपद कार्यालय अथवा तहसील कार्यालय में 20 जून 2022 तक आवेदन प्रस्तुत करने हेतु तिथि निर्धारित की गयी थी। किन्तु आवेदनों की अधिकता एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र जमा करने की तिथि को बढ़ाते हुए अब 27 जून 2022 तक नियत की जाती है। निर्धारित अवधि के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उस पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

पद्म पुरस्कार के लिए 30 जून तक आवेदन आमंत्रित

रायगढ़। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार श्रृंखला के तहत 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' तथा 'पद्मश्री' पुरस्कारों के लिये वर्ष 2023 हेतु नामांकन आमंत्रित किया गया है। इस पुरस्कार में 'उत्कृष्ट कार्य' को मान्यता प्रदान की जाती है और इसे सभी क्षेत्रों/ विषयों जैसे कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामलों, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग आदि में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। वेबसाईट https://padmaawards.gov.in पर दिए गए निर्देशों को पूर्ण करने वाले इच्छुक आवेदक, अपने समस्त उपलब्धियों सहित, ऑनलाईन आवेदन पश्चात कार्यालय, सहायक संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर, जिला रायगढ़ में 30 जून 2022 की शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। इन पुरस्कारों से संबंधित विधान और नियमावली वेबसाईट https://padmaawards.gov.in पर उपलब्ध है। पद्म पुरस्कार के लिये नामांकन केवल ऑनलाईन पोर्टल पर ही स्वीकार की जाएगी। डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में काम करने वाले व्यक्तियों सहित सरकारी सेवक, पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। पद्म पुरस्कार के लिये नामांकन हेतु अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2022 है।

महिला आयोग अध्यक्ष की समझाईश पर परिवार के लिए प्रतिमाह भरण-पोषण 8 हजार रुपए देने के लिए तैयार हुआ पति

- 498 'ए' के एफआईआर के पूर्व तीन काउंसलिंग अनिवार्य-डॉ.नायक
- महिलाओं को मिले त्वरित न्याय यह हमारी प्राथमिकता-डॉ. किरणमयी नायक
- आयोग द्वारा तीन प्रकरण को डीएसपी एवं दो प्रकरण जिला संरक्षण अधिकारी को दिया गया

रायगढ़। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोग के समक्ष महिला उत्पीडन से संबंधित प्रस्तुत प्रकरणों पर जनसुनवाई की। सुनवाई में कुल 35 प्रकरण रखे गये थे। जिसमें 25 प्रकरणों का निराकरण करते हुए नस्तीबद्ध किया गया तथा 03 प्रकरणो में त्वरित निराकरण के लिए सुनवाई रायपुर में नियत की गयी। वहीं शेष प्रकरणों पर आगामी सुनवाई की जाएगी।

डॉ.नायक ने कहा कि महिला आयोग के समक्ष प्रस्तुत प्रकरणों का जल्द से जल्द निराकरण हो तथा महिलाओं को त्वरित न्याय मिले इस दिशा में आयोग निंरतर कार्यरत है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में जाकर जनसुनवाई की जा रही है। महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अन्याय व उत्पीडऩ का असर पूरे परिवार खासकर बच्चों पर पड़ता है। इसलिए कोशिश होनी चाहिए की आपसी सलाह-मशविरे से मामलों में सुलह हो जाये। साथ ही महिलाओं के अधिकार उन्हें प्रताडऩा से बचाने के लिये है इसका दुरूपयोग पुरुषों को प्रताड़ित करने के लिये नही होना चाहिए।

आयोग के समक्ष प्रस्तुत एक पारिवारिक विवाद का मामला सामने आया जिसमें पति-पत्नी पिछले कुछ सालों से अलग रह रहे है। उनका एक बच्चा भी है जो मां के साथ रहता है। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी। जिस पर पति द्वारा पत्नी से आगे संबंध नहीं रखने की बात कही गयी। महिला आयोग अध्यक्ष डॉ.नायक ने दोनों की काऊंसिलिंग भी करवायी जिसके पश्चात भी पति संबंध विच्छेद की बात पर कायम रहा। इस पर महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ.नायक ने उसे अपने परिवार के भरण-पोषण व बच्चे की पढ़ाई-लिखाई के लिए 8 हजार रुपये पत्नी को देने के निर्देश दिए। साथ ही पिता को बच्चे से नियमित रूप से मिलने के निर्देश दिए जिससे बच्चा पिता के स्नेह से वंचित न रहे।

आयोग के समक्ष एक आवेदिका ने ससुराल पक्ष पर 2 करोड़ रुपये दहेज मांगने की शिकायत दर्ज करायी थी। जिसकी सुनवाई में आवेदिका तथा अनावेदक दोनों की बातें सुनी गयी। जिस पर आवेदिका ने बताया कि उसे ससुराल पक्ष द्वारा प्रताड़ित किया जाता है तथा धनराशि की मांग की जाती है। वहीं अनावेदक का कहना था कि उसकी पत्नी सास-ससुर के साथ नहीं रहना चाहती और पति के साथ अकेले रहने की मांग करती है। अनावेदिका ने बताया कि उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। इस पर संबंधित थाने के प्रभारी को भी मौके पर तलब कर विस्तृत जानकारी ली गयी। जिसमें यह बात निकलकर सामने आयी कि दहेज प्रताडऩा के मामलों में एफआईआर दर्ज करने के पूर्व परिवार परामर्श केन्द्र में तीन बार पति-पत्नी की काऊंसिलिंग की जाती है, इस पर भी सुलह नहीं होने पर प्रकरण दर्ज किया जाता है। पुलिस की ओर से जानकारी दी गयी कि आवेदिका के द्वारा अब तक एक भी काऊंसिलिंग नहीं ली गयी है। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.नायक ने दोनों पक्षों की काऊंसिलिंग करवायी, जिसके बाद पति अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार है किन्तु महिला केस दर्ज कराने पर ही अड़ी रही। इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.नायक ने दोनों पक्षों को विवाह के लेनदेन के संबंध में अपने विवरण के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। साथ ही त्वरित निराकरण के लिए मामले की अगली सुनवाई रायपुर में नियत की गयी है।

पारिवारिक विवाद से जुड़े एक दूसरे मामले में आवेदिका ने पति द्वारा मारपीट की शिकायत की थी। जिसकी सुनवाई में आवेदिका ने बताया कि इस मामले में सुलह-समझौता हो चुका है तथा वह वर्तमान में अपने पति के साथ निवासरत है। किन्तु अभी भी बीच-बीच में पति द्वारा विवाद किया जाता है। इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.नायक ने दोनों पक्षों को समझाईश दी कि खुशहाल पारिवारिक जीवन के लिए जरूरी है कि अनावश्यक विवादों से बचा जाए। उन्होंने अनावेदक को अपनी पत्नी का ध्यान रखने तथा किसी भी प्रकार की विवाद अथवा मारपीट से बचने की समझाईश दी। साथ ही पत्नी की मांग पर इकरारनामा तैयार कर देने के निर्देश दिए ताकि अगर पुन: घटना की पुनरावृत्ति हो तो पति के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके।

एक मामले में आवेदिका ने अपने सास के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति की आकस्मिक मृत्यु पश्चात उसे अपने हक से वंचित कर रही है। साथ ही उसका सारा सामान को भी अपने कब्जे में कर लिया है। दोनों पक्षों के मध्य तहसील आफिस में दर्ज जमीन के नाम का प्रकरण चल रहा है। महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ.नायक ने सुनवाई में उपस्थित बाल संरक्षण अधिकारी चैताली रॉय को दोनों पक्षों से समय नियत करते हुए उनके गांव जाकर आवेदिका का सामान दिलाकर आयोग में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही उपस्थित डीएसपी को भी तीन प्रकरण को जांच हेतु दिया गया है।

प्रेमजाल में फंसाकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला युवक गिरफ्तार

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा दुष्कर्म पीड़ित युवती की रिपोर्ट पर दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर 24 घंटे के भीतर आरोपी की सघन पतासाजी कर आरोपी को बरमकेला क्षेत्र से गिरफ्तार कर सारंगढ़ न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है।

घटना के संबंध में पीड़ित युवती ने बताया कि करीब 3 साल से *उमाशंकर सारथी (22 साल)* प्रेमजाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर दैहिक शोषण कर रहा है। पीड़ित युवती बताई कि उसे जब पता चला कि उमाशंकर सारथी अन्य लडकी से शादी तय कर लिया है, तब उसे जाकर बोली कि मेरी जिंदगी क्यों बिगाडे, शादी करो तो वह शादी से इंकार कर दिया। युवती के आवेदन पर थाना प्रभारी सरिया द्वारा दुष्कर्म का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी के लिये उसके घर दबिश दिया गया जो फरार था, देर रात तक उसके मिलने के ठिकानों पर पुलिस टीम दबिश देती रही जिसे आज बरमकेला क्षेत्र में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक के.के. पटेल, प्रधान आरक्षक भुनेश्वर पंडा, आरक्षक महादेव बंजारा, मोहन गुप्ता की अहम भूमिका रही है।

पिता की हत्या के आरोप में बेटा गिरफ्तार, लैलूंगा के ग्राम चोरंगा की घटना

- आरोपी ने घरेलू झगड़े में पिता को डंडे से पीटा और शराब पीकर गिरना बताया, जांच में हुआ खुलासा

रायगढ़। सीएसची लैलूंगा में ईलाज के लिए भर्ती कराये गये गोपाल चौहान (उम्र 42 साल) निवासी ग्राम चोरंगा थाना लैलूंगा की दूसरे दिन गत दिनांक 14.06.2022 को निधन हो गया। दिनांक 15.06.2022 को थाना लैलूंगा में मृतक के वारिसान मर्ग इंटिमेशन दर्ज कि दिनांक 14/06/2022 को गोपाल चौहान घर से निकला, शराब पीया हुआ था कि शाम को पतरापारा बगुडेगा के बीच गिरा पडा था जिसे उठाकर घर लाये और बेहोश अवस्था में ईलाज के लिए लैलूंगा अस्पताल भर्ती कराये थे, जहां ईलाज के दौरान फौत हो गया है, मृतक शराब पीने का आदि था शराब के नशे से गिरने से ईलाज के दौरान फौत हुआ है, रिपोर्ट पर मर्ग इंटिमेशन दर्जकर जांच में लिया गया।

इसी बीच एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा को पुलिस के सहयोगी सूत्रों से जानकारी मिली कि ग्राम चोरंगा में रहने वाले गोपाल चौहान की मृत्यु संदेहास्पद है, गोपाल के घरवाले उसे शराब के नशे में पीकर गिरना बताकर आनन-फानन में उसके अंतिम संस्कार की तैयारी में लगे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी द्वारा थाना प्रभारी लैलूंगा निरीक्षक एन.एस. मरकाम को स्वयं मामले की तस्दीकी का निर्देश दिये। थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के वारिसानों से बारीकी से कड़ी पूछताछ किये जिसमें घटना का खुलासा हुआ। मृतक के वारिसान ने बताया कि मृतक गोपाल चौहान शराब पीने का आदि था, घरेलू सामान को भी बेच कर शराब पीता था और हमेशा घर परिवारवालों को लडाई झगडा कर परेशान करता था। दिनांक 14/06/2022 को भी शराब पीकर घरपरिवार वालों के साथ लडाई झगडा कर परेशान कर रहा था तब हरिशंकर चौहान (मृतक का बेटा) ने गुस्से में आकर डण्डे से गोपाल चौहान को मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाया जिसे लैलूंगा अस्पताल में भर्ती कराया था। दिनांक 16.06.2022 को थाना प्रभारी द्वारा आरोपी हरिशंकर चौहान (उम्र 27 साल) पर हत्या कर साक्ष्य छिपाये जाने का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

लोन दिलाने के नाम पर ब्लैंक चेक से ठगी करने वाला आरोपी को पुलिस ने बलरामपुर से गिरफ्तार

- आईडीएफसी बैंक का लोन एजेन्ट बताकर ग्रामीण से की थी 2 लाख की ठगी
- थाना छाल में दो आरोपियों पर धोखाधड़ी का अपराध किया गया था पंजीबद्ध

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर फरार आरोपियों की पतासाजी के लिये चलाये जा रहे अभियान में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक जितेन्द्र एसैया द्वारा एएसपी लखन पटले एवं एसडीओपी खरसिया निमिषा पांडेय के मार्गदर्शन पर धोखाधड़ी के फरार आरोपी लॉरेंस लकड़ा (22 साल) को बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया है, आरोपी से धोखाधड़ी रकम से खरदी की 1.30 लाख रूपये का डीजे सेट की जप्ती किया गया है, आरोपी को आज ज्युडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

धोखाधड़ी की घटना के संबंध में दिनांक 25.03.2022 को थाना छाल में जगलाल राठिया (45 साल) निवासी ग्राम जामपाली पोस्ट बेहरामार, छाल के द्वारा लिखित आवेदन अनावेदक लोरेन्स लकडा पिता सेनाथ लकडा ग्राम काजूबाडी ग्राम पंचायत रैरूमा खुर्द तहसील धरमजयगढ़ तथा शुभम इलेट्रानिक पत्थलगांव के विरूद्ध दिया गया था, जिसमें पीड़ित के चेक से 2,00,000 रूपये अन्य खाता में ट्रांसफर कर धोखाधड़ी का उल्लेख किया गया था, आवेदन पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी लॉरेंस लकड़ा फरार हो गया था, विवेचना दरमियान आरोपी के मोबाइल नंबर को सर्विलांस में रखकर पतासाजी में लिया गया जो गिरफ्तारी के डर से लगातार लुक-छिप रहा था। आरोपी का वर्तमान लोकेशन जिला बलरामपुर प्राप्त होने पर एसडीओपी खरसिया के निर्देशन पर पुलिस टीम थाना प्रभारी छाल निरीक्षक जितेंद्र एसैया के हमराह आरक्षक हरेंद्र जगत, राजेश उरांव, दिलीप सिदार के साथ टीम आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी के लिए बलरामपुर रवाना हुआ जहां शंकरगढ़ इलाके से आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी द्वारा पीड़ित जगलाल राठिया के हस्ताक्षरसुदा कोरा चेक अपने साथी पत्थलगांव के इलेक्ट्रॉनिक के संचालक को देना बताया और दोनों अन्य खाते में □2,00,000 ट्रांसफर किये। इलेक्ट्रॉनिक दुकान का संचालक आरोपी लॉरेंस लकड़ा को पैसा न देकर दुकान से सामान खरीदने बोला। तब लॉरेंस इलेक्ट्रॉनिक दुकान से डीजेसामान □1,30,000 का लिया जिसकी जब्ती आरोपी के मेमोरेंडम पर की गई है। प्रकरण में दोनों आरोपियों के अपराधिक षड्यंत्र पर धारा 120 (B) IPC जोड़ा गया है। आरोपी के परिजनों को उसकी गिरफ्तारी की सूचना देकर आज न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, अन्य फरार आरोपी की सरगर्मी से पतासाजी की जा रही है।

नाबालिग से छेड़खानी का आरोपी गिरफ्तार, कनकबीरा पुलिस की कार्यवाई

रायगढ़। पुलिस चौकी कनकबीरा आकर गत दिनांक 16.06.2022 को क्षेत्र के स्थानीय निवासी ने उसकी नाबालिग लड़की के साथ मोहरचंद साहू (उम्र 19 वर्ष) द्वारा छेड़खानी किये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्टकर्ता बताया कि दिनांक 09.04.2022 को लड़की अपनी सहेलियों के साथ ग्राम बनहर मेला देखने गयी थी जहां से रात्रि वापस आते समय रास्ते में मोहरचंद साहू लड़की से अश्लील बातें कहकर छेड़खानी किया, लड़की विरोध की तो उसे जान से मारने की धमकी दिया, लड़की ने घर आकर घटना बताई। लोक लॉज से घटना की रिपोर्ट नहीं किये थे, लड़का मोहरचंद साहू भी गांव से भाग गया था परन्तु कुछ दिनों बाद मोहरचंद साहू फिर घर की ओर तरफ घुमते दिखा जो भविष्य में कोई गंभीर घटना न कर दे विचार कर परिजन रिपोर्ट दर्ज कराये। चौकी कनकबीरा के सहायक उप निरीक्षक पी.एल. चन्द्रा द्वारा आरोपी मोहरचंद साहू पर धारा 354, 506 भादवि, 8 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की पतासाजी कर आज दिनांक 17.06.2022 को गिरफ्तार कर सारंगढ़ न्यायालय रिमांड पर भेजा गया, जहां जेल वारंट जारी किये जाने पर आरोपी को सारंगढ़ उप जेल दाखिल किया गया है।

शाला खुलने के प्रथम दिवस ही डीईओ व डीएमसी द्वारा किया गया शालाओं का निरीक्षण

रायगढ़। लगभग 45 दिन के लंबे ग्रीष्मावकाश के बाद 16 जून को जिले के सभी विद्यालय खुल गए हैं। शासन प्रशासन व विभागीय निर्देशानुसार जिला विकासखंड संकुल व विद्यालय स्तर पर 16 जून को शाला प्रवेशोत्सव मनाने के साथ-साथ ही विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ किया जाना है। जिले में शैक्षणिक व्यवस्था बनाने व प्रशासनिक कसावट लाने की दृष्टि से जिला शिक्षा अधिकारी आर.पी. आदित्य व जिला मिशन समन्वयक समग्र शिक्षा रायगढ़ रमेश देवांगन द्वारा रायगढ़ के विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सभी शालाओं में विद्यालय की स्वच्छता, समय सारणी, दैनंदिनी, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति, बच्चों का नामांकन व प्रवेश, बालवाड़ी, मध्यान्ह भोजन, शालेय पंजियों का संधारण, पुस्तकालय तथा प्रयोग शाला के रख-रखाव आदि संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। रायगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक एवं हाई स्कूल चांदमारी शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक इंदिरा बालक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया।

राज्य महिला आयोग ने सुनवाई के दौरान महिलाओं के मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुर्नवास विषयों पर की चर्चा

रायगढ़। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के द्वारा छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों में मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग, मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास विषय पर जिला रायगढ़ में एक कार्यशाला आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यशाला में जिले के जिला संरक्षण अधिकारी, नवा बिहान के अधिकारी, मानव तस्करी रोकथाम पर कार्य करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता तथा जिले के पुलिस विभाग के जवाबदार अधिकारी कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास, पलायन एवं अन्य नवीन परिदृश्य में मानव तस्करी विशेषकर महिलाओं के मानव तस्करी रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास विषय पर परिचर्चा की गयी तथा एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने पर विचार किया गया। मौजूदा कानून तथा नए लागू हुए कानून के क्रियान्वयन एवं प्रभाव तथा आवश्यक संशोधन पर भी परिचर्चा की गयी एवं कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य में मानव व्यापार विशेषकर महिलाओं के अनैतिक व्यापार की रोकथाम हेतु किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया गया। मानव व्यापार में सबसे अहम भूमिका प्लेसमेंट एजेंसियों की होती है, जो अच्छी नौकरी का प्रलोभन देकर मेट्रो सिटी में ले जाकर उनकी तस्करी करते है। प्रत्येक जिले में मानव व्यापार की रोकथाम हेतु निर्मित सेल की जानकारी दी गयी। साथ ही राज्य में विभिन्न शिविर के आयोजन के माध्यम से मानव तस्करी की रोकथाम, अन्य हितधारकों तथा पीड़ितों के पुनर्वास हेतु प्रचार-प्रसार एवं अन्य प्रयासों से अवगत कराया गया है। यदि कोई पीड़ित हैं तो वे छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के व्हाट्सएप कॉल सेंटर नम्बर 9098382225 पर सम्पर्क कर या संबंधित जिले के महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480